कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।

संख्या–एम0ई0–3/1399 लखनऊ:दिनांक 30/06/2023

यू0पी0 नीट पी0जी0–2023 एवं नीट एम0डी0एस0–2023 की ऑनलाइन काउन्सलिंग के संबंध मे महत्वपूर्ण सूचना/निर्देश

- यू0पी0 नीट पी0जी0 (एम0डी0/एम0एस0/डिप्लोमा/डी0एन0बी0/एम0डी0एस0)–2023 की ऑनलाइन कॉमन काउसिंलिंग कराये जाने का प्रकरण भारत सरकार के विचाराधीन है। भारत सरकार द्वारा काउन्सिलिंग के संबंध मे जैसे ही निर्णय लिया जायेगा उसकी स्थिति से सूचित किया जायेगा।

- किसी भी अनाधिकृत संस्था/व्यक्ति अथवा स्वयं के स्तर पर लिए गये समस्त प्रवेश पूर्णरूप से अवैध माने जायेंगे। यदि भविष्य में ऐसे अनाधिकृत प्रवेश के संबंध मे इस कार्यालय को कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं का होगा। जिस पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

- भारत सरकार द्वारा आयोजित नीट पीजी–2023 एवं नीट एम0डी0एस0–2023 परीक्षा में सफल घोषित किए गये अभ्यर्थी ही यू0पी0 नीट पी0जी0–2023 काउसिंलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह है।

- ***निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी काउन्सिलिंग/च्वाइस फिलिंग से पूर्व ही सम्बन्धित कालेज के बारे मे स्वयं सम्पूर्ण जानकारी अपने स्तर से प्राप्त कर ले। आवंटन के पश्चात् किसी विषमता की स्थिति मे इस कार्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।***

- प्रदेश के निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल संस्थानों की सीटों पर प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सहित भारत के अन्य प्रदेशो के निवासी भी अर्ह होंगे।

स्टाइपेन्ड के संबंध मे :–

- राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय मे प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य स्टाइपेण्ड देय होगा।

- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियो के स्टाइपेण्ड का निर्धारण निजी क्षेत्र के कालेज प्रबन्धन द्वारा किया जाता है। अतः निजी क्षेत्र के कालेज मे प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी स्टाइपेण्ड के सम्बन्ध में सम्बन्धित कालेज से अपने स्तर से जानकारी प्राप्त कर लें।

- क्षेत्रीय नेत्र संस्थान, सीतापुर ट्रस्ट का हॉस्पिटल होने के कारण संस्थान मे संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम मे स्टाईपेण्ड देय नहीं है।

आरक्षण के संबंध मे :–

- आरक्षण (अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) संबंधी समस्त प्रमाण–पत्र उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा निर्गत निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होंगे।

- उत्तर प्रदेश के **अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)** एवं **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)** के आरक्षण प्रमाण–पत्र **दिनांक 01 अप्रैल, 2023** के बाद का निर्गत प्रमाण–पत्र ही मान्य होगें।

- उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के प्रदेशो से निर्गत आरक्षण संबंधी प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होंगे।

- आल इण्डिया के प्रारूप पर जारी आरक्षण प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगे।

- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेजो की सीटो पर कोई आरक्षण देय नहीं है।

- मेडिकल काउन्सिल कमेटी, भारत सरकार द्वारा नोटिस संख्या–U-12021/02/2023-MEC Dated 27-06-2023 के क्रम मे दिव्यांगजनो के दिव्यांगता प्रमाण–पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रो से निर्गत प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे।

- काउन्सिलिंग के संबंध मे अद्यतन/महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी हेतु समय–समय पर विभागीय वेबसाइट www.dgmeup.gov.in तथा www.upneet.gov.in का निरन्तर अवलोकन करते रहे।

महानिदेशक